



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082024-256685
CG-DL-W-28082024-256685

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 11,— अगस्त 17, 2024, शनिवार/श्रावण 20—श्रावण 26, 1946
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 11,— AUGUST 17, 2024, SATURDAY/SHRAVANA 20—SHRAVANA 26, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

सा.का.नि. 110.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती संशोधन नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स में नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) समूह 'ख' योद्धक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) समूह 'ख' योद्धक पद भर्ती नियम 2024 है।

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/3/2020-DRS]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उच्च श्रेणी लिपिक।	270* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति-शतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा अवधि पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।	(i) विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के

है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।				माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
--	--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: (i) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाए जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष;</p> <p>(2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य;</p> <p>(3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष;</p> <p>(2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य;</p> <p>(3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अवर श्रेणी लिपिक।	100* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीया।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/- रु.)।	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण;</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकणगति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकणगति (स्वीकृत समय 10 मिनट)।</p> <p>टिप्पण 1: प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10,500 कुंजी दाब प्रति घंटा / 9000 कुंजी दाब प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट।</p> <p>टिप्पण 2: टंकण में कौशल परीक्षण केवल कंप्यूटर पर आयोजित होगा।</p> <p>टिप्पण 3: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>हां, स्तंभ (11) में उपदर्शित सीमा तक।</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा अवधि पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।</p>	<p>(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;</p> <p>(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: (i) 10 प्रतिशत रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रु.) वाले समूह 'ग' कर्मचारियों (तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारी) में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी और जो 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अर्हता रखते हों और जिन्होंने अर्हक परीक्षा के आधार पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां, समूह 'ग' कर्मचारियों से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जायेगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले जो बाद वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं विचार किया जा सके।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष;</p> <p>(2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य;</p> <p>(3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष;</p> <p>(2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य;</p> <p>(3) सहायक -सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

टिप्पण 2: खंड (i) के अधीन परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास वर्ष होगी।		
--	--	--

[फा. सं. एस एम/02/18/2023]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 30th July, 2024

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India, (Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Upper Division Clerk.	270* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Bachelor's Degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The probation period shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks' duration.	(i) 10 per cent. by promotion through Departmental Promotion Committee; (ii) 80 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (iii) 10 per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) 10 per cent. of vacancies to be filled up by promotion through Departmental Promotion Committee from Lower Division Clerk with eight years of regular service in the grade in level-2 in the pay matrix (Rs19900-63200). (ii) 10 per cent. of vacancies to be filled up by promotion through Limited Departmental Competitive Examination from Lower Division Clerk with five years regular service in the grade in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member.	Not applicable.

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Lower Division Clerk.	100* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th class from a recognised Board; (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. (Time allowed 10 minutes) Note 1: {35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour (KDPH) / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions of each word}. Note 2: Skill Test in typing shall be conducted only on Computers. Note 3: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Yes, to the extent indicated in Column (11).	Two years for direct recruits. Note: The probation period shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks' duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10 per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination; (iii) 5 per cent. by promotion through Departmental Promotion Committee.	Promotion: (i) 10 per cent. of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst the Group 'C' staff (erstwhile Group 'D' staff) in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12 th Class pass qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE);	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member.	Not applicable.

	<p>(ii) 5 per cent. of the vacancies shall be filled up by promotion through Departmental Promotion Committee from Group 'C' employees who have three years regular service in the grade in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).</p> <p>Note 1: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for eligibility for examination under clause (i) shall be forty-five years and fifty years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Surveyor General - Chairperson;</p> <p>(2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member;</p> <p>(3) Assistant Surveyor General - Member.</p>	
--	---	---	--

[F. No. SM/02/18/2023]

ANUPAMA, Under Secy.